

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

राजस्व वाद संख्या 183/2021

वादी :-

1) केदारनाथ पुत्र जयराज

2021

431

तहसील पचपदरा जिला बाडमेर ।

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1) मेगलाराज पुत्र जयराज

2) हरचन्द्र राज पुत्र जयराज बालाराज

3) राजस्थान सरकार जिरमे तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काष्ठकारी अधिनियम 1955 वास्ते घोषणा व दुरुस्ती

उपस्थिति :- 1. श्री केदारनाथ स्वयं वादी ।
2. श्री मेगलाराज प्रतिवादीगण

हरचन्द्र राज
तहसीलदार पचपदरा

निर्णय

दिनांक :- 29.10.21

वादी के द्वारा वादपत्र के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी की खातेदारी व कब्जा काष्ठ की भूमि खेत ~~खसरा~~ ^{खसरा} नं 39 रकबा 35-02 बीघा,

सरहद मौजा ~~की...~~ तहसील पचपदरा मे स्थित है जिस पर वादी का कब्जा काष्ठ है। वादी के बचपन में लाड प्यार से बोले जाने वाला नाम ~~किराना~~ होने से राजस्व रेकर्ड में ~~किराना पुत्र जयराज~~ दर्ज किया गया, जबकि वादी का अन्य सभी दस्तावेजात भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, राषन कार्ड में वादी का नाम ~~केदारनाथ पुत्र जयराज~~ दर्ज है। वादी को किसान कार्ड बनाने, किसान अनुदान लेने, अन्य सरकारी योजनाओं का फायदा प्राप्त करने में कई कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है। वादी ने राजस्व रेकर्ड में अंकित गलत नाम इन्द्राज ~~किराना पुत्र जयराज~~ के स्थान पर ~~केदारनाथ पुत्र जयराज~~ ही नाम घोषित करवाने का निवेदन किया गया।

(नरेश सोनी)
सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

प्रतिवादीगण संख्या 1 राजस्थान राज्य की तरफ से ईकबाली जबाबदावा पेश कर
वादी के वाद पत्र के समस्त तथ्यों को सही होना स्वीकार किया गया एवं वादी का
बचपन नाम किराना सुजदा के स्थान पर केहनारा सुजदा
दुरुस्ती की जाती है, तो उन्हें कोई आपत्ति व उज्र एतराज नहीं है।


वाद पत्र में अंकित तथ्यों की जांच नायब तहसीलदार पंचपदरा
तहसील पंचपदरा से करवाई गई। राजस्थान राज्य की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया
जिसमें नाम दुरुस्ती करने की सहमति प्रकट की गई है।

हमने पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया
कि खेत खसरा नं 39 रकबा 35-09
बीघा, सरहद मौजा श्रीहरलई स्टे तहसील पंचपदरा वादी का नाम बचपन में
लाड-प्यार का नाम किराना दर्ज किया गया वादी द्वारा साक्षी में
प्रस्तुत दस्तावेजात में अर्थात् अन्य सरकारी व अन्य अर्द्धसरकारी दस्तावेजों सरपंच ग्राम
पंचायत चांदेसरा एवं तहसीलदार पंचपदरा की जांच रिपोर्ट के अवलोकन
स्पष्ट साबित है कि वादी के बचपन का नाम किराना दर्ज किया गया है
वादी का सही नाम केहनारा है, ऐसी स्थिति में वादी के वाद को स्वीकार करने
में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर
तहसीलदार पंचपदरा की मजमें आम मे की मौका रिपोर्ट के आधार पर खेत खसरा नं 39
रकबा 35-10 बीघा, सरहद मौजा श्रीहरलई स्टे .

वादग्रस्त आराजी में वादी का गलत नाम किराना पुत्र जदा
के स्थान पर केहनारा पुत्र जदा खातेदार घोषित किया जाता
है। तहसीलदार पंचपदरा को आदेषित किया जाता है कि वे तदनुसार राजस्व रेकर्ड में
अमलदरामद करना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 29/10/2021 को कोर्ट केम्प कोर्ट चांदेसरा में मजमे
आम में सुनाया गया।


रजमंद कलवाच
(S.O.) बलोचरा